# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2372/2008/कोटा.
2. अपील संख्या – 2373/2008/कोटा.

मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लिमिटेड, तलवंडी, कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा / वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, कोटा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

**खण्डपीठ**
**श्री राजीव चौधरी, सदस्य**
**श्री के. एल. जैन, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 14/12/2017**

## निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 1 एवं 4/ई.टी./2007–08/माल पर प्रवेश कर में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 15.10.2008 के विरूद्ध राजस्थान में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा के प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.03.2007 एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत–प्रथम, कोटा (जिन्हें आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दोनों प्रकरण पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये हैं।

2. दोनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

14/12/17

**लगातार.....2**

4. अपीलीय अधिकारी द्वारा दोनों प्रकरण आदेश दिनांक 15.10.2008 से कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये हैं। इस सम्बन्ध में विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित निर्देशों की पालना में पुनः आदेश दिनांक 09.03.2010 को पारित किये जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में दोनों अपीलें निष्प्रभावी हो चुकी हैं। व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने भी पुनः कर निर्धारण कर दिये जाने की पुष्टि की है।

5. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें निष्प्रभावी (infructuous) हो जाने से खारिज की जाती हैं।

6. निर्णय सुनाया गया।

( के. एल. जैन )
सदस्य

14/12/17

( राजीव चौधरी )
सदस्य